73

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1600–एक/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 7-9--2012 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना – प्रकरण क्रमांक 53/2010-11 अपील

1– महेशदत्त शर्मा 2– दिनेश शर्मा
3– अवधेश शर्मा पुत्रगण स्व.देवीदयाल शर्मा
4– श्रीमती लोंगश्री पत्नि स्व.देवीदयाल शर्मा
निवासीगण ग्राम तोरकुंभ तहसील पोरसा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती शांति शर्मा पुत्री स्व.देवीदयाल शर्मा
पत्नि प्रमोद खुडासिया उसैदघाट रोड
अम्वाह तहसील अम्वाह जिला मुरैना
2– श्रीमती लीलावती पुत्री स्व.देवीदयाल शर्मा
पत्नि खुर्द मौजा रायपुर तहसील पोरसा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश
3– श्रीमती सुसिंता पुत्री स्व.देवीदयाल शर्मा
पत्नि मायाराम ग्राम कनेरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
4– श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री स्व.देवीदयाल शर्मा
पत्नि कृष्णहरि शर्मा उसैदघाट रोड
अम्वाह तहसील अम्वाह जिला मुरैना ——अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्रीएस0के0बाजपेयी अभिभाषक)
(अनावेदकगण की ओर से के0के0द्विवेदी अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 08-03- 2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 53/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-9-12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने ग्राम तोर कुंभ

की नामान्तरण पॅजी के सरल क्रमांक 2 पर आदेश दिनॉक 1-8-1998 से किये गये नामांत्रण आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह केंप पोरसा के समक्ष दिनांक 31-1-2011 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह केंप पोरसा ने प्र0 क0 53/2010-11 अपील पॅजीबद्व किया तथा दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 7-9-12 पारित किया एंव अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह केंप पोरसा के इसी अंतरिम आदेश परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक शांतीदेवी का वादित भूमि से संबंध नहीं है वह ग्राम तोरकुंभ की निवासी न होकर उसैदघाट रोड अम्वाह में रहती है। नामान्तरण आदेश के 14 वर्ष वाद एस0डी0ओ0 के समक्ष अपील की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने बिना जांच किये तथा यह जानते हुये कि 14 वर्ष के विलम्ब से अपील की गई है एंव दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया है । आदेश की जानकारी कब हुई जानकारी का स्त्रोत नहीं दिया गया, फिर विलम्ब को क्षमा करने में भूल की गई है।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक क्रमांक-1 शांतिदेवी दिनांक 19-1-11 को पटवारी के यहां अपने पिता देवी दयाल के फोत होने पर नामान्तरण कराने के लिये खतौनी की नकल लेने गई, तब पटवारी ने खतौनी देखकर बताया कि वादित भूमि का नामान्तरण हो चुका है। पटवारी ने यह भी बताया कि रिकार्ड तहसील में है वहीं से नकल मिलेगी , तब एडवोकेट के माध्यम से नकल का आवेदन दिया और दिनांक 22-1-11 को नकल मिलने पर जानकारी के दिन से अपील की गई है। अवधि विधान की धारा-5 एंव पुष्टिकरण में दिये गये शपथ पत्र के तथ्यों से सहमत होकर अनुविभागीय अधिकारी ने जानकारी का श्रोत सही मानकर विलम्ब क्षमा किया हैं उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि ग्राम तोर कुंभ की नामान्तरण पॅजी के सरल क्रमांक 2 पर आदेश दिनॉक 1-8-1998 से किये गये नामांत्रण आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी,

अम्वाह केंप पोरसा के समक्ष दिनांक 31-1-2011 को अपील प्रस्तुत की गई है जो लगभग 14 वर्ष के विलम्ब से है। विलम्ब क्षमा करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7-2-12 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये विवरण एंव पुष्टिकरण में दिये गये शपथ पत्र के तथ्यों के आधार पर विलम्ब क्षमा किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 में बताया गया है कि यद्वपि विलम्ब के लिये माफी पक्षकार का अधिकार नहीं है किन्तु न्यायालय को इस बैवेकिक अधिकारिता के प्रयोग के लिये पर्याप्त कारण पाने पर विलम्ब क्षमा करने पर उदार रूख अपनाना चाहिये। **भाई साहव विरूद्व बेनीसिंह 2005 रा0नि0 184 में बताया गया है कि हितबद्व पक्षकार को पूर्व में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, उस दशा में आदेश की जानकारी होने पर 12 वर्ष का विलम्ब माफ किया जाना उचित माना गया है।** सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। वाद विचारित भूमि मृतक देवीदयाल शर्मा के नाम थी जो अनावेदकगण के पिता हैं और मृतक पिता के स्थान पर आवेदकगण का नामान्तरण करते समय अनावेदकगण को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह केंप पोरसा ने अंतरिम आदेश दिनांक 7-9-12 से विलम्ब क्षमा करने में त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 7-9-12 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह केंप पोरसा जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 53/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-9-12 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर